

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाड़, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: अनिता खटीक आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 303/2024

दायर दिनांक:- 28.05.2024

उनवान

गोपीराम बनाम तहसीलदार निवाड़

प्रार्थी की ओर से :- दयाराम गुर्जर

अप्रार्थी की ओर से :- पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत- अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि -1956

निर्णय

दिनांक.....30/5/25

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अर्न्तगत धारा-128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 379/504, खसरा नम्बर 379/505, खसरा नम्बर 379/506, खसरा नम्बर 379/507, खसरा नम्बर 380/508, खसरा नम्बर 380/509, खसरा नम्बर 380/510, खसरा नम्बर 380/511, खसरा नम्बर 380/511, खसरा नम्बर 380/514, खसरा नम्बर 382/524, खसरा नम्बर 382/525, खसरा नम्बर 382/526, खसरा नम्बर 382/527, खसरा नम्बर 382/528, खसरा नम्बर 382/529 कुल रकबा 4.0086 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा तहसील निवाड़ में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात का रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा -128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाड़ को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 379/504, खसरा नम्बर 379/505, खसरा नम्बर 379/506, खसरा नम्बर 379/507, खसरा नम्बर 380/508, खसरा नम्बर 380/509, खसरा नम्बर 380/510, खसरा नम्बर 380/511, खसरा नम्बर 380/511, खसरा नम्बर 380/514, खसरा नम्बर 382/524, खसरा नम्बर 382/525, खसरा नम्बर 382/526, खसरा नम्बर 382/527, खसरा नम्बर 382/528, खसरा नम्बर 382/529 कुल रकबा 4.0086 है0 वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा तहसील निवाड़ जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत्त निवाड़ को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक.....30/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिता खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ जिला टोंक